राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –443/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत द्वितीय,
भिवाडी, अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स क्लासिक स्टेपिंग प्रा0लि0,
भिवाडी। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री ओ.पी. सैनी, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अधिवक्ता । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत द्वितीय, वाणिज्यिक कर भिवाडी (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) अलवर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **22.02.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 30/सी.एस.टी/2009–10/उपा/अपील्स/अल–II/भिवाडी के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित करने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का वर्ष 2004–05 का निर्धारण आदेश केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत् दिनांक 26.02.2007 को पारित कर, मांग राशि कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ रिकॉर्ड की पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अभिखण्डित कर कायम की गयी मांग राशियों को पुनःस्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गई।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक **26.02.2007** की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **22.02.2010** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **30.03.2012** को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है । अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील ''सारहीन'' हो गयी है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है ।

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन दिनांक 30.03.2012 को कर दिया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है** :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

लगातार.....3

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **30.03.2012** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील ''सारहीन'' हो गयी है ।

परिणामतः अपील ''सारहीन'' होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

10.6.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष